Special Inquiry Committee to probe alleged irregularities and corruption in bodies that are administering the games of Cricket and Hockey in NCT of Delhi

Terms of Reference of the Committee:

1. To look into working, management and administration (including alleged financial irregularities) of the bodies that are entrusted with administering and managing the affairs of Cricket and Hockey in NCT of Delhi,
2. To examine whether the current practices have been conducive to the games of Cricket and Hockey,
3. To recommend measures to make these administrative bodies asinstitutions compatible with international standards,
4. To identify any acts of omission and commission by these administrative bodies and their office bearers during the period between January 01, 1992 and May 31, 2016 and to fix responsibility,
5. To examine whether such acts of omission need to be pursued and if so, in what manner and
6. To recommend measures to turn these administrative bodies into effective and transparent institutions so that they could promote the glorious games of cricket and hockey by identifying and nurturing true talents.

That the Committee is free to decide its own procedure to fulfil the mandate given to it by the House;

That the Committee is free to enlarge the scope of the investigation, if needed, subject to approval of Hon'ble Speaker;

That the committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly; and

That the Committee shall submit its report to Hon'ble Speaker before the commencement of the sixth Session of the sixth Legislative Assembly"

“राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हाकी और क्रिकेट खेलों में कथित व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच करने के लिए विशेष जांच समिति”

<u>समिति के विचारार्थ विषय :</u>

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्रिकेट और हॉकी के मामलों के संचालन व प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी निकायों के (कथित वित्तीय अनियमितताओं सहित) कार्य–कलाप, प्रबन्धन व संचालन की जॉच करना;
2. क्या वर्तमान में प्रचलित चलन क्रिकेट और हॉकी के खेलों के अनुकूल रहा है, इसकी जॉच करना;
3. .इन प्रशासनिक निकायों को एक संस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने हेतु उपायों की अनुशंसा करना;
4. इन प्रशासनिक निकायों एवं उनके पदाधिकारियों द्वारा 1 जनवरी, 1992 से 31 मई, 2016 के बीच की गई किसी भी भूल व चूक के कृत्य की पहचान करना एवं उसकी जिम्मेदारी तय करना ।
5. इस बात की जांच करना कि क्या ऐसी किसी भी चूक की जांच करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो किस तरीके से; और
6. इन प्रशासनिक निकायों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी संस्थाओं में परिवर्तित करने हेतु उपायों की अनुशंसा करना ताकि वे सच्ची प्रतिभाओं की पहचान व पोषित कर क्रिकेट व हॉकी के शानदार खेलों को प्रोत्साहित कर सकें ।

समिति सदन द्वारा दिये गये जनादेश की पूर्ति हेतु अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होगी ।

समिति, यदि आवश्यकता हो तो, माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपनी जांच का दायरा बढ़ाने हेतु स्वतंत्र होगी ।

समिति को विधान सभा की वर्तमान समितियों को प्राप्त सभी शक्तियां एवं उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी ।

’’समिति अपनी रिपोर्ट छठी विधान सभा के छठे सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी । ’’